25/

संख्याः — /XVIII(II)/2015–1(22)/2015

प्रेषक,

भास्करानन्द
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 30 जून, 2015

विषयः– भगवन्त एजुकेशनल फाउण्डेशन नई दिल्ली को ग्राम उत्तरी झण्डीचौड़, तहसील कोटद्वार, जनपद गढ़वाल में शैक्षणिक प्रयोजन (विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान की स्थापना) हेतु कुल 3.231 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–3796/11–रीडर–2015, दि0 22.5.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, भगवन्त एजुकेशनल फाउण्डेशन नई दिल्ली को ग्राम उत्तरी झण्डीचौड़ तहसील कोटद्वार,जनपद गढ़वाल के विभिन्न खसरा संख्याओं के अन्तर्गत शैक्षणिक प्रयोजन (विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान की स्थापना) हेतु कुल 3.231 है0 भूमि की अनुमति, उत्तराखण्ड (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दि0 15.01.2004 की धारा–154(4)(3)(क) (III) के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान की स्थापना) के लिये करेगा, जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होगा।

3– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है, उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है, उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

5– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

6– इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग मात्र शैक्षणिक प्रयोजन (विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान की स्थापना) हेतु ही किया जायेगा।

7– सम्बन्धित इकाई को भूमि पर निर्माण कराये जाने से पूर्व स्थल का भू–उपयोग कृषि से सामुदायिक सुविधायें (विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान की स्थापना) में परिवर्तन कराना होगा।

8– स्थल पर निर्माण प्रचलित उप विधि के अनुसार किया जायेगा तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार पहुंच मार्ग उपलब्ध कराया जायेगा।

9– जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व विधि/नियमों का उल्लंघन न हो तथा प्रस्तावित भूमि भारमुक्त/बन्धक मुक्त होने एवं विवाद रहित होने पर ही क्रय की जाय।

10– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगें।

11– किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

12– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

13– योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियॉ/स्वीकृतियॉ प्राप्त कर ली जायेगी।

14– सम्बन्धित इकाई द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के संचालन से पूर्व सम्बन्धित विभागों से मान्यता/अनापत्ति प्राप्त कर ली जायेगी।

15– उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन होने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश की शर्तो के अनुपालन स्थिति से भी ससमय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0सं0: 1405/XVIII(II)/2015–1(22)/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– सचिव, भगवन्त एजुकेशनल फाउण्डेशन, ए–926 डी.एल.एफ.टावर, जसोला विहार, नई दिल्ली–110025
5– निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
उप सचिव।